कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अम्बेडकरनगर

पत्रांक/बे० शि०/मान्यता/418-25 दिनांक: 05/09/2025

प्रबन्धक,

ब्लू बेल्स,

अरियोना, फैजाबाद रोड

अकबरपुर, अम्बेडकरनगर

उत्तर प्रदेश।

विषय: मान्यता नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक आप अपने पत्र दिनांक का संदर्भ ग्रहण करे, जिसके द्वारा मान्यता नवीनीकरण हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त के संबंध में अवगत कराना है आपके विद्यालय को इस कार्यालय के पत्रांक/ बे० शि०/मान्यता/418-25 दिनांक 20/04/2016 द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की अंग्रेजी माध्यम से मान्यता प्रदान की गयी थी।

उक्त के संबंध में अवगत कराना चाहता हू कि इस कार्यालय के उपरोक्त द्वारा प्रदान की गयी अस्थायी मान्यता ही स्थायी मान्यता होने तक प्रभावी मानी जाएगी।

(प्रवीण कुमार तिवारी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
अम्बेडकरनगर

BLUE BELLS
Principal
Akbarpur, Ambedkar Nagar

BLUE BELLS
Manager
Akbarpur, Ambedkar Nagar

Annexure 02

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
अम्बेडकरनगर।

सेवा में,

प्रबन्धक,

ब्लू बेल्स अकबरपुर

पत्रांकः/मान्यता/ 310-23 /2016-17 दिनांकः 20-4-16

विषयः—निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2009 के नियम 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण –पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 31.10.2012 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से, मैं ब्लू बेल्स अकबरपुर को तारीख 10.03.2016 से तारीख 10.03.2019 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा प्री-प्राइमरी से कक्षा 8 तक के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की सूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप से कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/संबधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम ,2009 (उपबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम, 2010 (उपबन्ध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पडोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा , उसके पूरा होने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा 03 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों के अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा । ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय का एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को ,उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा। वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।

(i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक ,किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

(ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

(iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक , जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हतायें नहीं है। 05 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेगें।

(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और।

(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रिया–कलापों में नियोजित नही करेगें।

G:\manyata 3\manyata cartificate1.doc

BLUE BELLS Principal Akbarpur, Ambedkar Nagar

BLUE BELLS Manager Akbarpur, Ambedkar Nagar

Aashima Tandon

BLUE BELLS Manager